रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 345] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897
No. 345] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel & Administrative Reforms)**

## NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 30th December 1975*

**G.S.R. 598(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Union Public Service Commission and the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Recruitment) Third Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 2 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, in sub-clause (i) of clause (g), for item (f), the following item shall be substituted, namely:—

"(f) the Arunachal Pradesh Civil Service (Class I)."

[No. 11039/2/75-AIS(I)-A]

## मंत्रिमंडल सचिवालय

### (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1975

**सा० का० नि० 598(अ).**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघलोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 में नियम 2 के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (1) में मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :—

"(च) अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा (प्रथम श्रेणी) ।"

[संख्या 11039/2/75-अ०भा०से० (1)-क]

**G.S.R. 599(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission and the Governments of the States concerned, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) fifth Amendment Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In sub-regulation (1) of regulation 2 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, in clause (j), for item (f), the following item shall be substituted, namely:—

"(f) the Arunachal Pradesh Civil Service (Class I)".

[No. 11039/2/75-AIS(I)-B]

U. C. AGARWAL, Jt. Secy.

**सा० का० नि० 599(अ).**—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पांचवां संशोधन विनियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में विनियम 2 के उप विनियम (1) में खण्ड (ब) में मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :—

"(च) अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा (प्रथम श्रेणी)"।

[संख्या 11039/2/75-अ० भा० से० (1)-ख]

यू० सी० अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975